प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 04.12.2024**

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा फैक्ट्रियों के गार्डो को बन्धक बनाकर लूट करने वाले गिरोह का वाँछित / 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से लूट का 37.400 किलोग्राम कॉपर वायर व चोरी की मोटरसाईकिल बरामद

दिनाँक-07/09/24 को श्री हरजिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री कुलवन्त सिंह निवासी जूट मिल कम्पाउण्ड पटेल मार्ग गाजियाबाद ने थाना सिहानीगेट पर आकर सूचना दी थी कि सुबह 05 बजे पटेल मार्ग गाजियाबाद स्थित उनकी कम्पनी एस0पी0 इलैक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग वर्क्स का अज्ञात बदमाशों द्वारा गार्ड को बन्धक बनाकर ताले तोडकर कॉपर वायर लूट लिया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर तत्काल कार्यवाही करते हुए गिरोह के सरगना व शातिर अपराधी नदीम उर्फ कल्लू सहित 03 अपराधियों को पूर्व मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है उक्त सनसनीखेज लूट के अभियोग मे फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त नगर जोन द्वारा 25 हजार रूपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया था।

दिनाँक-03/12/2024 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा उपरोक्त सनसनीखेज लूट करने वाले गिरोह के वाँछित / ईनामी अपराधी आरिफ पुत्र मौहम्मद अली को हमदर्द मैदान टी पाँईट लोहिया नगर थाना सिहानीगेट क्षेत्र से गिरफ्तार करनें में महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल सहित उपरोक्त कम्पनी की लूट से सम्बन्धित 37.400 किलोग्राम कॉपर वायर बरामद हुआ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त आरिफ उपरोक्त ने बताया कि वह छठवीं कक्षा तक पढा है, पढाई छोडने के बाद उसने तीन साल तक कार मैकेनिक का काम लोनी मे सीखा तथा वर्ष 2010 से 2017 तक लोनी बार्डर मे कार मैकेनिक का काम किया परन्तु उसमे ज्यादा मेहनत थी और आमदनी ज्यादा नही हो रही थी। इसने वर्ष 2018 मे पहली बार क्रूज माल दिल्ली से एक मोटरसाईकिल चोरी करके बेच दिया तथा मिले रुपयो से कबाडे का काम शुरु कर दिया कबाडे का काम करते- करते वर्ष 2022 मे एक फैक्ट्री से अकेले ही कॉपर के क्वायल चोरी करके मुस्तफाबाद मे बेच दिया जिसमे इसे काफी रकम मिली तो यह धीरे-धीरे फैक्ट्रियो, घरों मे तथा वाहनों की चोरियों मे लिप्त हो गया, फिर इसकी मुलाकात नदीम उर्फ कल्लू से हुई दोनो ने मिलकर अपना एक चोरों का गैंग बना लिया और घरो, फैक्ट्रियो,और दुकानो मे नकब लगाकर चोरी करने लगे। आरिफ उपरोक्त वर्ष 2022 मे गोकलपुरी दिल्ली मे कापर चोरी मे जेल गया था। जेल से छूटने के बाद इसने अपराध करना नही छोडा यह लगातार गाजियाबाद,दिल्ली एन.सी.आर. क्षेत्र मे चोरी/लूट के अपराधो मे लिप्त रहा। इसने अपने साथियों के साथ दिनाँक-07/09/24 को थाना सिहानीगेट क्षेत्र में गार्ड को बन्धक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, घटना करने से पहले आरिफ या इसके गिरोह के अन्य सदस्य दिन मे कबाड आदि की फेरी करके पहले रैकी करते है और घटना करने के स्थान को चिन्हित कर लेते है फिर रात में एक जगह इकट्ठा होकर मोबाईल स्विच ऑफ करके घटना कारित करने जाते है घटना कारित करने के बाद उससे जो भी रुपये मिलते है उसे आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते है सूचना या रैकी करने वाले को 10,000 रू0 अलग से देते है। अपने-अपने हिस्से मे आये रूपयो से ये लोग अपने शौक व खर्चे पूरे करते है।

पूछताछ पर अभियुक्त आरिफ उपरोक्त ने चोरी/लूट करने वाले अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद, दिल्ली एन.सी.आर. व आस-पास के क्षेत्रों मे चोरी/लूट की घटनाओं पर रोक लगेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>-

आरिफ पुत्र मौहम्मद अली निवासी निकट गडढे वाली मस्जिद ,मौलाना आजाद कालोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

<u>अभियुक्त से बरामदगी का विवरण</u> –

1.कॉपर की छोटी बडी रीलें कुल जन करीब 37.400 किलो ग्राम

2.रैकी व घटना करने मे प्रयुक्त चोरी की स्प्लेण्डर मोटर साईकिल

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

अभियुक्त आरिफ उपरोक्त के विरूद्ध दिल्ली में 04 व गाजियाबाद में 01 कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा चोरी/छिनैती करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी की एक बैटरी (जनरेटर की), 5 चोकोर पाइप स्टील के , 02 लोहे के एंगल , 04 लोहे के गाटर नुमा पाइप , 02 मोबाइल फोन , 4500 रूपये व 03 चाकू, चोरी/गृह भेदन के उपकरण 01 लोहे का प्लास , 01 पेचकस 01 लोहे का पाना बरामद ।

<u>घटना का विवरण</u>-

दिनांक 21.11.2024 को वादी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री अतुल भूषण एचआरआईटी विश्वविघालय मेरठ रोड दुहाई थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद की एक लिखित तहरीर कि दिनांक 20/11/2024 की रात्रि में एच0आर0आई0टी0 विश्वविघालय परिसर से दो जनरेटरों (400 केवीए से दो बैटरी व 200 केवीए से दो बैटरी) में से कुल चार बैटरी अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। जिसपर तत्काल थाना मधुबन बापूधाम पर उचित धाराओ में मुकदमा पंजीकृत किया गया। एवं घटना के अनावरण हेतु टीमो का गठन किया गया।

<u>कार्यवाही का विवरण-</u>

दिनांक 03/04.12.2024 की रात्रि दौराने पुलिस चेकिंग संदिग्ध वाहन एवं संदिग्ध व्यक्ति में चौकी क्षेत्र वर्धमानपुरम शाहपुर रोड पर स्थित रोडी/क्रेसर फैक्ट्री के पास से 04 अभियुक्त गण को चोरी किये माल एवं अन्य स्थानो से चोरी/छिनैती के माल के साथ हिरासत में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम पता अभियुक्त गण</u>

1. दीपक पुत्र सूरज उर्फ स्वराज सिंह निवासी शाहपुर रोड पर मूलकुमार त्यागी के मकान मे किराये पर ग्राम मरोटा उम्र 22 वर्ष
2. विकास उर्फ ओमप्रकाश उर्फ झगड़ा पुत्र कृपाल निवासी शाहपुर क्रिकेट ग्राउण्ड मूल पता सिकन्दरपुर खागी थाना रजपुरा जिला संभल उम्र करीब 21 वर्ष
3. रविन्द्र पुत्र कल्याण निवासी मैनापुर फैक्ट्री एरिया मूल पता ग्राम जनौरा थाना धनारी जिला बुलन्दशहर उम्र 22 वर्ष
4. परवेश उर्फ परविन्दर पुत्र अमर सिहं निवासी मंगेश त्यागी के मकान में किराये पर ग्राम मोरटा मूल निवासी गांव गोथना टेसरी थाना गुन्नोर जिला सम्भल उम्र 20 वर्ष

<u>अपराधिक इतिहास</u>

1.अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम में छिनैती का 01 मुकदमा थाना कविनगर पर 01 मुकदमा छिनैती का थाना मधुबन बापूधाम पर चोरी के 02 मुकदमा व 01 मुकदमा चोरी का सामान बरामद एवं चोरी की योजना बनाने के कुल 05 मुकदमे दर्ज है।

2.अभियुक्त विकास उर्फ ओमप्रकाश उर्फ झगडा उपरोक्त के विरुद्ध थाना कविनगर पर छिनैती का 01 मुकदमा थाना मधुबन बापूधाम पर चोरी के 02 मुकदमा व 01 मुकदमा चोरी का सामान बरामद एवं चोरी की योजना बनाने के कुल 04 मुकदमे दर्ज है।

3.अभियुक्त रविन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध थाना मधुबन बापूधाम पर चोरी के 02 मुकदमा व 01 मुकदमा चोरी का सामान बरामद एवं चोरी की योजना बनाने के कुल 03 मुकदमे दर्ज है।

4.अभियुक्त परवेश उर्फ परविन्दर उपरोक्त थाना मधुबन बापूधाम पर चोरी के 02 मुकदमा व 01 मुकदमा चोरी का सामान बरामद एवं चोरी की योजना बनाने के कुल 03 मुकदमे दर्ज है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त गणो नें कडाई से पूछताछ पर सभी अभियुक्तो ने एक स्वर में बताया कि साहब ये लोहे की एंगल व गाटर हम लोगो ने मेरठ रोड पर मोरटा गांव के पास स्थित फेक्ट्री से 4-5 दिन पहले चोरी किये थे तथा ये बेटरी हम लोगो ने HRIT कालेज से चार बेटरी चोरी की थी जिसमें से 03 बेटरी हम लोगो द्वारा राह चलते कबाड़ियो को बेच दी थी जिससे मिले धन को हम लोगो के द्वारा शराब आदि खर्चो में खर्च दिये थे तथा हमसे बरामद ये बेटरी उन्ही में से शेष बेटरी हैं। तथा बरामद मोबाइल फोन तथा पूर्व में की गयी घटनाओ के बारे में पूछने पर पुन: इधर उधर की बाते बनाने लगे किन्तु सख्ती से पूछे पर पकड़े गये लड़के दीपक उपरोक्त ने बताया कि साहब में नशे का आदि हूं तथा अपने साथी जिसका नाम राजा उर्फ सुकेश पुत्र भीमसेन उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम शाहपुर थाना मुरादनगर के साथ नशा आदि करता हूँ तथा उसी की संगत में मुझे चोरी व मो0सा0 पर लूट/छिनैती करने की आदत हो गयी हैं तथा मुझसे बरामद ये 1500 रूपये मेने करीब 20-25 दिन पूर्व शाम के समय राजनगर एक्सटेंशन की फार्चून सोसाइटी के पास से पान के खोके से सिगरेट पीते हुये व्यक्ति से सोने की चेन छीनी थी तथा उस चेने को मैने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक राह चलते व्यक्ति को बेच दी थी जिसके बदले मैं मुझे 10 हजार रूपये मिले थे जिसमें से बाकि पैसा खर्च हो गया हैं उसमें से 1500 रूपये शेष बचे हैं, साहब इस घटना को मेरे अकेले के द्वारा अंजाम दी गयी थी लेकिन मुझसे बरामद ये मोबाइल फोन मैने व मेरे साथी राजा उर्फ सुकेश पुत्र भीमसेन उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम शाहपुर थाना मुरादनगर के साथ मिलकर लूटा था साहब उस दिन में ज्यादा नशे में था तो सही जगह नहीं बता सकता तथा इसके अतिरिक्त मेरे द्वार पकड़े गये मेरे साथी विकास उर्फ ओमप्रकाश उर्फ झगड़ा के साथ मिलकर कविनगर में आपका भवन के पास से एक मंगलसुत्र एक महिला से रात के समय करीब 15-20 दिन पूर्व छीना था जो कि इसी के पास हैं तथा सभी घटनाओ में हमारे द्वारा राजा की मो0सा0 प्रयोग की गयी हैं तथा थोड़ी ओर सख्ती करने पर पकड़े गये दूसरे लडके विकास उर्फ ओमप्रकाश उर्फ झगड़ा उर्फ झगड़ा ने बताया कि साहब मुझसे बरामद 3000 रूपये मेने करीब 15-20 दिन पूर्व रात्रि में 10 बजे के आसपास आपका भवन कविनगर के पास सड़क पर जा रही एक महिला से मैने व पकड़े गये साथी दीपक ने मिलकर मंगलसुत्र छीना था तथा उस मंगल सुत्र को हम दोनो ने गाजियाबाद बस अड्डे के पास एक राह चलते व्यक्ति को बेच दिया था जिसके बदले मैं हम लोगो को 12 हजार रूपये मिले थे जिसमें से बाकि पैसा खर्च हो गया हैं उसमें से 3000 रूपये शेष बचे हैं तथा ये मोबाइल फोन मैने अपने साथी राजा उर्फ सुकेश पुत्र भीमसेन उर्फ बिट्टू निवासी ग्राम शाहपुर थाना मुरादनगर के साथ मिलकर 5 नं भट्टा रोड से लूटा था तथा दोनो घटनाओ में हमारे द्वारा राजा की मो0सा0 प्रयोग की गयी हैं।

बरामदगी का विवरण

1.एक बैटरी(जनरेटर की)
2. 5 चोकोर पाइप स्टील के
3. 02 लोहे के एंगल
4. 04 लोहे के गाटर नुमा पाइप
5. 02 मोबाइल फोन (एक वीवो कम्पनी रंग ग्रे एक मोबाइल पोको कम्पनी रंग नीला)
6. 4500 रूपये
7. 03 चाकू चोरी/गृह भेदन के उपकरण
8. 01 लोहे का प्लास
9. 01 अदद पेचकस
10.01 लोहे का पाना

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर ठग/ चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 07 वाशिंग मशीन बरामद।

दिनांक 02.12.24 को वादी श्री मुकेश कुमार s/o श्री रत्न चन्द निवासी टावर T2, फ्लैट नं0- 702 गुलमोहर गार्डन गाजियाबाद , द्वारा थाने पर सूचना दी गयी कि मेरी डिलवरी कंपनी में काम करने वाले डिलवरी बॉय द्वारा 04 वाशिंग मशीनों को डिलीवरी हेतु ओम ट्रेडिंग कम्पनी लोनी को ले गये थे तथा मशीने वहां ना पहुँचाकर रास्ते में कहीं गायब कर दी है। उक्त संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 03-12-24 को मुखबिर की सूचना पर रेड एप्पल सोसायटी के खंडहर के पास से, 02 शातिर चोरो को मय चोरी के माल 07 वांशिग मशीन सहित गिरफ्तार किया गया है, अभि0गण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम व पता –

(1) रिंकू पुत्र श्री हरवीर सिंह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

(2) लक्की उर्फ दुष्यंत पुत्र श्री पूरन सिंह निवासी मुखिया गेट बागराणापंचम पार्क लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

फरार अभि0गण का नाम व पता-

(3) हिमांशु पुत्र नामालूम निवासी घिटौरा थाना लोनी गाजियाबाद

(4) रवि पुत्र श्री सुरेन्द्र निवासी सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण रिंकू व लक्की उर्फ दुष्यंत ने एक स्वर मे बताया कि हम दोनो व हमारे साथी हिमांशु व रवि वंश लोजिस्टिक डिलिवरी कम्पनी सददीकनगर गाजियाबाद मे नौकरी करते है हम चारो एक राय होकर षडयन्त्र के तहत सामान की डिलीवरी करने जाते है तो उसमे से कुछ सामान डिलिवर नही करते और अपने मालिक को बता देते है की सामान डिलिवर कर दिया और हम सामान को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देते है। ये सभी वाशिंग मशीन भी हम चारो साथियो ने इसी तरह गायब करके इसी सोसायटी के खंडहर मे छिपाकर रख दी थी। बरामद अन्य 03 मशीनो के बारे में पूछताछ की गयी तो बताया कि ये तीन मशीने भी इसी तरह से पूर्व में धोखाधडी भिन्न भिन्न डिलवरी कम्पनीयो से चोरी की गयी है, जिनके संबंध में विस्तृत जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. WASHING MACHINE गोदरेज कम्पनी जिस पर सिरियल नम्बर 240900508SW01867SO
2. WASHING MACHINE गोदरेज कम्पनी जिसका सिरियल नम्बर 240600308SW00502LN
3. WASHING MACHINE गोदरेज कम्पनी जिसका सिरियल नम्बर 240900508SW01721MY
4. WASHING MACHINE LG कम्पनी जिस पर सिरियल नम्बर 409NWXB044922
5. WASHING MACHINE LG कम्पनी जिस पर सिरियल नम्बर 408SWTA006241
6. WASHING MACHINE VOLTAS कम्पनी जिस पर सीरियल नम्बर 8782463500
7. WASHING MACHINE WHIRPOOL कम्पनी जिसका सीरियल नम्बर INC243902388

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।